(घ)

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)	00
(ii)	मूक बधिर (DD)	00
(iii)	अस्थि विकलांग (OH)	00
(iv)	मनोविकार/बहुदिव्यांग	00

शैक्षणिक योग्यता :–

(i) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी

अथवा

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिम्ड–विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।

(iii) अभियंत्रण संस्थान का सह–सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा–"अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ होगा अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा–"अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।

टिप्पणी 1 :–

(1) जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पृष्ट हो, वह इस रूप में नहीं होगा:–

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खण्ड–(4) में विनिर्दिष्ट योग्यता रखनेवाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग–III में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। (बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्ती नियमावली, 2019 आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर उपलब्ध है)।

नोट:–शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–02.06.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रदद् कर दी जायेगी।

2. वेतनमान:– वेतन स्तर–9

3. उम्र सीमा – दिनांक– 01.08.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला– 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 13062, दिनांक– 12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

4. चयन प्रक्रिया:–

(क) विज्ञापित पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–15638, दिनांक–22.12.1990 एवं पत्रांक–6703, दिनांक–01.10.2008 द्वारा निर्धारित सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. लिखित परीक्षा छः पत्रों की होगी, जिनमें 04 पत्र अनिवार्य और 02 पत्र ऐच्छिक होंगे। प्रथम 04 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे। दो ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ (Objective) रूप में होंगे जो सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग–अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र मात्र Qualifying होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात अलग–अलग दोनों पत्रों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जायेगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय/पत्र/समय और कुल अंक निम्नांकित होंगे:–

(क) अनिवार्य पत्र

पत्र सं0	विषय	परीक्षा की प्रकृति	अवधि	कुल अंक	
1.	सामान्य अंग्रेजी	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100	Qualifying (न्यूनतम 30 अंक)
2.	सामान्य हिन्दी	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100	
3.	सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100	
4.	सामान्य अभियंत्रण विज्ञान	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100	

(ख) ऐच्छिक पत्र

5.	सिविल अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
6.	सिविल अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
	अथवा			
5.	यांत्रिक अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
6.	यांत्रिक अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
	अथवा			
5.	विद्युत अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
6.	विद्युत अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100

नोट:–विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

6. आरक्षण:–

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके**